संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
Ph: 0771-2412840, 2412844, 2412849, Fax: 0771-2412841 E-mail: dgm.cg@nic.in

क्रमांक / /गौण खनिज/2016 नया रायपुर, दिनांक

गौण खनिजों के समेकित अनुज्ञप्ति आबंटन हेतु इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्रपत्र

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 9 अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी के माध्यम से निम्नानुसार समेकित अनुज्ञप्ति आबंटन किया जाना है। जिस हेतु अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदारों को आमंत्रित किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर) दिनांक .... तक जमा की जाएगी। बोलियां मात्र ऑनलाईन ही स्वीकार की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से आबंटित की जा रही समेकित अनुज्ञप्ति की जानकारीः–

क्र.	जिला/ तहसील	ग्राम पंचायत /ग्राम	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नं.	गौण खनिज का नाम	निविदा दस्तावेज लागत (रूपये में)	निविदा प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)	आरक्षित कीमत (रिजर्व प्राईस) रूपये प्रतिटन अथवा आरक्षित कीमत (रिजर्व प्राईस) रूपये प्रति क्यूबिक मी.	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी) (रूपये में)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी) (रूपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

1.0 महत्वपूर्ण

1.1 बोली लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोली लगाने के पूर्व समेकित अनुज्ञप्ति की स्थिति, समेकित अनुज्ञप्ति में नीलाम किये जा रहे खनिज (खनिजों) की उपलब्धता और गुणवत्ता, पहुंच के रास्ते आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें स्वीकार नहीं की जायेगी।

1.2 इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी के निबंधन, शर्तें, समेकित अनुज्ञप्ति से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सुसंगत जानकारी विभागीय वेबसाईट **www.chhattisgarhmines.gov.in** तथा संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, द्वितीय तल, ब्लॉक चार, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, 492001 से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

2.0 <u>पंजीयन की प्रक्रिया</u>

2.1 पंजीयन प्रक्रिया पूर्व पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और न्यूनतम क्लास–II डिजिटल सर्टिफिकेट (साइनिंग एण्ड एन्क्रिप्शन) होना आवश्यक है।

2.2 इलेक्ट्रॉनिक–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/index.jsp (पोर्टल) में सर्वप्रथम पंजीयन कराना होगा। MSTC के गौण खनिज पोर्टल में पूर्व से पंजीकृत व्यक्ति को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा MSTC के द्वारा उपलब्ध कराये गये फोन नंबर पर आप आवश्यकतानुसार मदद ले सकते हैं।

2.3 पंजीयन की प्रक्रिया MSTC पोर्टल एवं खनिज साधन विभाग के शासकीय वेबसाईट www.chhattisgarhmines.gov.in में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) के अनुसार रहेगी।

2.4 उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपका पंजीयन सक्रिय हो जाएगा एवं आप इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी और निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते है। आपका पंजीयन आगामी ऐसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी/निविदा के लिए एक वर्ष हेतु वैध होगा।

3.0 <u>इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया</u>

3.1 इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी की सूचना (एनआईटी), http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/index.jsp (पोर्टल) में इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी के न्यूनतम 21 दिवस पूर्व प्रदर्शित होगी जिसे अवलोकनार्थ निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध ऑनलाईन नीलामी दस्तावेज जमा करने संबंधी मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा MSTC के द्वारा उपलब्ध कराये गये फोन नंबर पर आप आवश्यकतानुसार मदद ले सकते हैं।

3.2 इलेक्ट्रॉनिक नीलामी हेतु दस्तावेज जमा किया जाना एवं नीलामी प्रक्रिया, उक्त पोर्टल में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अनुसार होगी।

3.3 समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिये, आवेदक को नियम 5 के उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। इस बाबत् बोलीदार को पैन/टिन (यथास्थिति व्यक्तिगत अथवा फर्म, एसोसिएशन अथवा कंपनी के संबंध में), Authorization Letter (यथास्थिति फर्म, एसोसिएशन अथवा कंपनी होने पर बोलीकर्ता के पक्ष में) तथा सौ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में निर्धारित शपथ पत्र, मात्र स्कैन्ड कॉपी बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी के पूर्व संबंधित वेबसाईट में ऑनलाईन अपलोड किया जाना होगा।

3.4 इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी में भाग लेने के लिये पात्रता हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलीदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जायेगा। सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल पात्र बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

4.0 <u>इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी की प्रक्रिया</u>:–

इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी की प्रकिया दो चरणों में अद्यतन बढ़ते कम में होगी।

<u>4.1 प्रथम चरण</u>:–

4.1.1 कंडिका 3 अनुसार प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त पोर्टल पर पुनः लॉगईन करने पर **अर्हित बोलीदार द्वारा नीलामी दस्तावेज लागत और नीलामी प्रकिया शुल्क के लिए** जमा की गई राशि उपरोक्त कंडिका 3.4 के अनुसार चयनित समेकित अनुज्ञप्ति के सामने दिखाई देने लगेगी और **आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर)** का विंडो दर्शित होगा, **जिसमें प्रस्तावित बोली (प्रस्थापना) रूपये प्रति घनमीटर/प्रति मीट्रिक टन अथवा अन्य किसी मानक इकाई में डालना होगा।**

4.1.2 आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर) के विंडो में आपके द्वारा प्रस्तावित आरंभिक मूल्य रूपये **प्रति घनमीटर/प्रति मीट्रिक टन अथवा अन्य किसी मानक इकाई में**, किसी भी स्थिति में नीलामी हेतु निर्धारित **आरक्षित कीमत (रिजर्व प्राईस)**से अधिक ही होनी चाहिए।

4.1.3 निर्धारित मापदंडो को पूर्ण करने वाले तकनीकी अर्हित बोलीदारों (टेक्नीकली क्वालीफाईड बिडर्स) का प्रथमतः आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर) खोला जाएगा। उच्चतम् आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर) को द्वितीय चरण के ई–नीलामी के लिए **आधार मूल्य (फ्लोर प्राईस)** निर्धारित किया जाएगा।

4.1.4 प्रथम चरण में प्राप्त समस्त निविदाओं को आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर) अनुसार निम्नगामी आरंभिक कीमत प्रस्थापना के आधार पर श्रेणीबध्द किया जावेगा और उन श्रेणियों के 50 प्रतिशत तकनीकी अर्हित बोलीदार या शीर्ष के 05 तकनीकी अर्हित बोलीदार, इनमें से जो भी उच्चतम हो, दूसरे दौर में भाग लेने के लिए अर्हित बोलीदार के रूप में अर्हित होंगे, जिन्हें सूचना दी जावेगी। एक से अधिक निविदाकर्ताओं के आरंभिक मूल्य एक समान होने की स्थिति में ऐसे निविदाकर्ताओं को एक समान श्रेणी दिया जाएगा।

<u>4.2 द्वितीय चरण</u> :–

4.2.1 प्रथम चरण अंतर्गत प्राप्त आरंभिक कीमत प्रस्थापना खोलने एवं द्वितीय चरण के इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी तिथी एवं समय की सूचना संलग्न समय सारिणी अनुसार होगी।

4.2.2 प्रथम चरण में अर्हित बोलीदारों को द्वितीय चरण के इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी में निर्धारित **आधार मूल्य (फ्लोर प्राईस)** से अधिक बोली लगानी होगी। इस तरह बढ़ते कम में एक के बाद एक

बोलियां लगाई जायेगी एवं प्रत्येक बोली पिछले बोली से राशि रूपये एक या एक के गुणांक से अधिक होगी।

4.2.3 प्रत्येक बोलीदार के कम्प्यूटर के विंडो पर अन्य बोलीदारों की तत्समय प्रस्तावित सर्वोच्च बोली प्रदर्शित होती रहेगी तथापि बोलीदारों के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।

4.2.4 बोली हेतु निर्धारित समयावधि की समाप्ति के अंतिम 8 मिनट में यदि उच्चतम बोली प्राप्त होती है, तब ऐसे उच्चतम बोली के समय से इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी समयावधि 8 मिनट स्वतः बढ़ जाएगी। यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। यदि इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी हेतु निर्धारित समयावधि में उच्चतम बोली लगाए जाने के अंतिम 8 मिनट में अन्य कोई बोली प्राप्त नही होती है तो उस समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा यह बोली, **नीलामी राशि (ऑक्शन मनी)** के रूप में अंतिम मान्य होगी।

4.2.5 उच्चतम बोलीकर्ता (एच–1 बिडर) को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–मेल से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी, किंतु इसका तात्पर्य यह नही होगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है। इस सूचना का प्रिंट लेकर **संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, चतुर्थ ब्लॉक, नया रायपुर** से 03 दिवस में संपर्क करना होगा।

4.2.6 यदि नीलामी के किसी भी चरण में यदि एक ही निविदा प्राप्त होती है उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि निविदा तिथि में 07 दिवस की वृध्दि कर सकेगा। यदि वृध्दि उपरांत भी एक ही निविदा प्राप्त होती है और वह निर्धारित योग्यता मापदंड पूर्ण करता है तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। इसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा होगी।

4.2.7 उच्चतम बोलीकर्ता (हाइएस्ट फाईनल प्राईस ऑफर) को **सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित एवं ई–मेल के माध्यम से अधिमानी बोलीदार (प्रीफर्ड बिडर)** घोषित किया जाएगा।

4.2.8 **अधिमानी बोलीदार** घोषणा तिथि के 07 दिवस के भीतर, बोलीदार को डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से पृष्ठ कमांक 1 में दर्शित तालिका के कॉलम कमांक 11 अनुसार **कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी)** जमा किया जाना होगा। **उपरांत इस बाबत् एक आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट, एलओआई) जारी किया जाएगा।**

4.2.9 **अधिमानी बोलीदार** द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर **कार्यपालन प्रतिभूति** जमा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति जब्त योग्य होगी।

5.0 इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी की निबंधन तथा शर्तें

5.1 समेकित अनुज्ञप्ति के लिए पात्रताः–

5.1.1 समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लेने के लिये, आवेदक को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 5 (1) में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा। इस बाबत् बोलीदार को पैन/टिन (यथास्थिति व्यक्तिगत अथवा फर्म,

एसोसिएशन अथवा कंपनी के संबंध में), Authorization Letter (यथास्थिति फर्म, एसोसिएशन अथवा कंपनी होने पर बोलीकर्ता के पक्ष में) तथा सौ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में निर्धारित शपथ पत्र, मात्र स्कैन्ड कॉपी बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी के पूर्व संबंधित वेबसाईट में ऑनलाईन अपलोड किया जाना होगा।

5.1.2 इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी में भाग लेने के लिये पात्रता हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलीदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जायेगा। सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

5.2 समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आदेशः–

5.2.1 नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति में एक कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र जारी करेगा।

5.2.2 आशय पत्र प्राप्त होने पर अधिमानी बोलीदार को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार समझा जाएगा, अर्थात्ः–

5.2.2.1 पात्रता संबंधी सभी निबंधन एवं शर्तो का अनुपालन;

5.2.2.2 सभी सहमतियों, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्रों, अनापत्तियों और वैसे ही अन्य दस्तावेजों को जो पूर्वेक्षण संबंधी संक्रियाओं को प्रारंभ करने संबंधी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करना; और

5.2.2.3 निजी भूमि के लिए भूमि स्वामी की सहमति; और

5.2.2.4 पूर्वेक्षण की योजना प्रस्तुत करना।

5.2.3 नियम 10 उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार को सक्षम प्राधिकारी समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा और ऐसी समेकित अनुज्ञप्ति इन नियमों के ऐसे उपबंधो के अधीन रहते हुए होगी जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और उत्खनन पट्टे के लिए लागू हो।

5.2.4 आशय पत्र जारी होने की तिथि से वन भूमि के संबंध में एक वर्ष तथा गैर वन भूमि के संबंध में छः माह के भीतर नियम 10 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों

को पूरा करने में विफल रहने पर आशय पत्र को स्वमेव निरस्त मान्य किया जायेगा और सफल बोलीदार द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्यपालन प्रतिभूति राजसात किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि यदि अधिमानी बोलीदार के पास समय के भीतर, नियम 10 के उप–नियम (2) की शर्तें पूर्ण नहीं करने का पर्याप्त कारण होने पर, संचालक द्वारा नियम 10 के उप–नियम (4) की अवधि में, छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ाई जा सकेगी।

5.2.5 समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसे न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होगा, जिस हेतु उत्खनन पट्टा इन नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जा सकेगा तथा अधिकतम क्षेत्र इन नियमों के अनुसार होगा।

5.2.6 समेकित अनुज्ञप्ति का धारक, समेकित अनुज्ञप्ति के क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रिया का संचालन करेगा, जिससे खनिज पदार्थो का साक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके, और उसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

5.2.7 यदि समेकित अनुज्ञप्ति का धारकः

5.2.7.1 इन नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करने में विफल रहता है, तो ऐसे धारक उत्खनन पट्टा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और समेकित अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी।

5.2.7.2 इन नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करता है अथवा अन्यथा खनिज पदार्थो की विद्यमानता को स्थापित करता है, ऐसा धारक उत्खनन पट्टा प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन करेगाः

परन्तु उत्खनन पट्टा केवल ऐसे क्षेत्र के लिए प्रदान किया जायेगा जिसके लिए खनिज पदार्थो का साक्ष्य पाया गया है और जो उत्खनन संक्रियाओं के लिए आवश्यक हो तथा यह ऐसे अधिकतम क्षेत्र से अधिक नहीं होगा जिसके लिए इन नियमों के अधीन उत्खनन पट्टा प्रदान किया जायेगाः

परन्तु यह और कि समेकित अनुज्ञप्ति के किसी धारक द्वारा कोई अतिरिक्त क्षेत्र, इसमें सुधार होने के पश्चात्, अभ्यर्पित समझा जायेगा।

5.2.8 समेकित अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह उत्खनन पट्टे) की कुल अवधि के लिये प्रदान किया जायेगा जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा उत्खनन पट्टे की अवधि का योग होगा, जो कि इन नियमों के अधीन उक्त खनिजों के लिए विहित है।

5.3 **इलेक्ट्रॉनिक नीलामीः—**

5.3.1 नीलामी केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से दो चरणों में अद्यतन बढ़ते क्रम में संचालित की जायेगी।

5.3.2 सक्षम प्राधिकारी, ऐसे किसी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगा, जो कि मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक —उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

5.4 **बोली लगाने के लिये मानकः—**

5.4.1 एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे आरक्षित कीमत कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

5.4.2 बोलीदार द्वारा ''नीलामी राशि'' के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिये निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/टन/अन्य मानक इकाई में, **जो कि आधार मूल्य (फ्लोर प्राईस) से अधिक होगी,** राशि उद्धृत की जायेगी।

5.4.3 नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में नीलामी की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

5.4.4 जहां किसी क्षेत्र को एक से अधिक खनिज के लिये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी द्वारा आवंटित किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी की राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

5.4.5 समेकित अनुज्ञप्ति अनुदत्त किये जाने के पश्चात्, यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

5.5 बोली लगाने की प्रक्रियाः–

5.5.1 बोलीदार को नीलामी के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि प्रदान की जायेगी।

5.5.2 बोली लगाने की प्रक्रिया, नीलामी आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के 21 दिन की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। नीलामी एक उच्चगामी आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी।

5.5.3 प्रथम–चरण में बोलीदार को तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्थापना, जो कि आरक्षित कीमत से अधिक होगी, प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोलीदार द्वारा पात्रता की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिये होगा।

5.5.4 केवल उन्हीं बोलीदारों को जो विहित पात्रता शर्तों के अनुरूप पात्र पाये जायेंगे उन्हें ''तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार'' घोषित किया जायेगा।

5.5.5 तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों के बीच आरक्षित कीमत से अधिक उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्थापना ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे–चरण के लिये आधार मूल्य होगा।

5.5.6 आरंभिक कीमत के बोली दस्तावेजों (आरंभिक कीमत बोली) को खोलने के उपरांत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नगामी आरम्भिक कीमत प्रस्थापना के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा और उन श्रेणियों के प्रथम पचास प्रतिशत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार (किसी भिन्नांश को उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जायेगा) या शीर्ष के पांच तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार, इनमें से जो भी उच्चतर हो, दूसरे चरण में भाग लेने के लिए अर्हित बोलीदार के रूप में अर्हित होंगे। केवल अर्हित बोलीदार, नीलामी प्रक्रिया अर्थात ऑनलाईन अग्र नीलामी के दूसरे चरण में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

5.5.7 यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों की संख्या पांच से कम हो, तो सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार के रूप में मान्य किया जायेगा।

5.5.8 दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, ऐसे सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये समान श्रेणी में रखा जायेगा और ऐसे मामलों में, ऊपर उल्लिखित पचास प्रतिशत को पचास प्रतिशत धन तकनीकी रूप से अर्हित ऐसे बोलीदारों की संख्या तक बढ़ा दिया जायेगा, जिनकी आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाएं ऐसी समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाओं की संख्या से कम समरूप है।

5.5.9 प्रथम चरण में अर्हित बोलीदारों को द्वितीय चरण के इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी में निर्धारित **आधार मूल्य (फ्लोर प्राईस)** से अधिक बोली लगानी होगी। इस तरह बढ़ते क्रम में एक के बाद एक बोलियां लगाई जायेगी एवं प्रत्येक बोली पिछले बोली से राशि रूपये एक या एक के गुणांक से अधिक होगी।

प्रत्येक बोलीदार के कम्प्यूटर के विंडो पर अन्य बोलीदारों की तत्समय प्रस्तावित सर्वोच्च बोली प्रदर्शित होती रहेगी तथापि बोलीदारों के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।

बोली हेतु निर्धारित समयावधि की समाप्ति के अंतिम 8 मिनट में यदि उच्चतम बोली प्राप्त होती है, तब ऐसे उच्चतम बोली के समय से इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी समयावधि 8 मिनट स्वतः बढ़ जाएगी। यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। यदि इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी हेतु निर्धारित समयावधि में उच्चतम बोली लगाए जाने के अंतिम 8 मिनट में अन्य कोई बोली प्राप्त नही होती है तो उस समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा यह बोली, **नीलामी राशि (ऑक्शन मनी)** के रूप में अंतिम मान्य होगी।

अधिकतम अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करने वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा।

5.5.10 पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकारः– जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी हेतु अधिसूचित कोई भूमि पूर्णतः या अंशतः निजी भूमि हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जायेगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामी हो, को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार

किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग किये जाने की सूचना नीलामी के लिए रखे गये उक्त क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत के घोषणा की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में विफल होता है तो यह मान्य किया जायेगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

5.5.11 यदि नीलामी प्रक्रिया के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण दर्शित करते हुए नीलामी को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

5.6 सफल बोलीदार (सक्सेसफुल बिडर) को छोड़कर, बोली प्रतिभूति अन्य समस्त बोली लगाने वाले को ई–पेंमेट की प्रक्रिया के माध्यम से वापसी योग्य होगा। अधिमानी बोलीदार को सूचना प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना होगा, अन्यथा ऐसे सफल बोलीदार द्वारा जमा बोली प्रतिभूति राजसात योग्य होगा। परफॉरमेंश सेक्युरिटी लाईसेंस/लीज की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् केवल तभी वापसी योग्य होगा, जब सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि लाईसेंसी/लेज़ी द्वारा समस्त नियमों और/या करार की शर्तो का समाधानप्रद रूप से पूरा किया है।

5.7 सफल बोलीदार को समेकित अनुज्ञप्ति अनुबंध निष्पादन पूर्व, यदि उपयुक्त हो खनिज राजस्व बकाया नहीं प्रमाण पत्र जमा करना होगा। समेकित अनुज्ञप्ति अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 अनुसार निष्पादित एवं पंजीकृत किया जाएगा। यदि सफल बोलीदार प्रदेश में खनिज रियायत धारी नहीं है अथवा पूर्व में नहीं रहा है, इस स्थिति में तत्संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

5.8 नीलामी राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

5.8.1 अनुज्ञप्तिधारी को इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रकिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक निविदा की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

5.8.2 नीलामी राशि में मूल्य वृध्दि, थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राईस इंडेक्स) के आधार पर निम्नानुसार निर्धारण योग्य होगी। उदाहरणार्थः–

$$\text{मूल्य वृध्दि} = \frac{\text{नीलामी राशि}}{\text{वर्ष 2016 के लिए थोक मूल्य सूचकांक}} \times \text{चालू वर्ष के लिए थोक मूल्य सूचकांक}$$

5.8.3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य किसी तत्समय प्रभावकारी अधिनियम अथवा नियम के तहत देय राशि का भी भुगतान करना होगा।

5.9 कार्यपालन प्रतिभूति समेकित अनुज्ञप्ति अनुबंध के तहत समायोजन योग्य होगी।

5.10 यदि नीलाम राशि या अन्य कोई देय राशि नियमानुसार निर्धारित कालावधि के भीतर जमा नहीं की जाती हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा कार्यपालन प्रतिभूति या उसका भाग समायोजन कर सकेगा। उस दशा में इस प्रकार समायोजन की गई राशि, अनुज्ञप्तिधारी को 15 दिवस में पुनः पूर्ण/जमा करना होगा।

5.11 उक्त के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 (यथा संशोधित) अंतर्गत निहित शर्तों के तहत अनुज्ञप्ति का संचालन एवं जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

6.0 सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार नीलामी दस्तावेजों/शर्तों में सुधार/परिवर्तन किया जा सकेगा। जिसकी जानकारी केवल (वेबसाईट) में प्रदर्शित की जावेगी। ऐसा सुधार/परिवर्तन बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

7.0 बोलीदार द्वारा नीलामी हेतु अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार है :–

1- पैनकार्ड/टिन नंबर

2- शपथ पत्र (एफिडेविट)

3- फर्म अथवा कंपनी की स्थिति में शपथकर्ता के पक्ष में विधिवत् Power of Attorney/ Authorization letter.

8.0 इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी हेतु संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़

क्रमांक	दस्तावेज़	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
1.	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी समय सारिणी	एक	
2.	क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन एवं विवरण/संक्षेपिका	दो	
3.	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी हेतु चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण (जिसमें समाहित वन भूमि, राजस्व भूमि और निजी भूमि का विवरण है)	तीन	
4.	समेकित अनुज्ञप्ति अनुबंध	चार	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–एक

इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी के लिए समय सारिणी

क0	गतिविधियां	समयसीमा	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी आमंत्रण सूचना (एनआईटी) का वेबसाईट एवं सूचना पटल पर प्रकाशन	T_0*	14.09.2016
2	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी हेतु आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर) प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि	T_{21}	05.10.2016
3	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी	T_{28}	13.10.2016
4	इलेक्ट्रॉनिक–निविदा खोलने तथा तकनीकी अर्हताधारी बोलीदारों की घोषणा की तिथि	T_{29}	14.10.2016 (दोपहर 12:00 बजे)
5	आरंभिक कीमत प्रस्थापना (इनिशियल प्राईस ऑफर) खोलने की तिथी	T_{29} **(अपरान्ह 03:00 बजे)**	14.10.2016 (अपरान्ह 03:00 बजे)
6	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी तिथी (द्वितीय चरण)	T_{32}	17.10.2016 (पूर्वान्ह 11:00 बजे)
7	उच्चतम बोलीकर्ता की घोषणा	T_{35}	20.10.2016
8	पट्टाक्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को उच्चतम प्राप्त बोली संबंधी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग (यदि आवश्यक हो।)	T_{42}	27.10.2016
9	प्रीफर्ड बिडर की घोषणा	T_{49}	03.11.2016

नोट– 1. * T_0 प्रारंभ तिथी

2. समय सारिणी सांकेतिक है
3. कंडिका 4 से 7 संबंधी निर्धारित समय सारिणी, शासकीय अवकाश होने की दशा में निर्धारित कार्य आगामी कार्य दिवस में किया जावेगा।

परिशिष्ट–दो

क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन एवं विवरण/संक्षेपिका

(1) स्थान का विवरण –

(i) जिला –
(ii) तहसील –
(iii) ग्राम–

(2) क्षेत्र का विवरण –

स.क्र.	खसरा क्र. /कंपार्टमेंट नंबर	कुल रकबा (हे.)	प्रतिबंधित क्षेत्र काटने उपरांत उपलब्ध रकबा (हे.)	भूमि का प्रकार (राजस्व भूमि/ वनभूमि/निजी भूमि/छोटे बड़े झाड़ के जंगल इत्यादि)	नोइयत (पहाड़ चट्टान/घास/चारागाह इत्यादि)/ भूमिस्वामी का नाम
1					
2					
3					
कुल					

(3) खनिज का विवरण –

स.क्र.	खनिज	विवरण
1	नाम	
2	पूर्वेक्षित/अपूर्वेक्षित	
3	अनुमानित भंडार	
4	ग्रेड	
5	अन्य जानकारी (प्रश्नाधीन क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में स्थित पुल, नदी, रेल इत्यादि का विवरण एवं दूरी।)	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–तीन

इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी हेतु चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण प्रतिवेदन

स.क्र.	विवरण	हाँ / नहीं	रिमार्क
1	सक्षम अधिकारी का प्रतिवेदन		
2	फील्ड बुक		
3	सीमांकन पंचनामा		
4	खसरा पांचसाला		
5	नक्शा		
6	ग्रामपंचायत प्रस्ताव (अधिसूचित क्षेत्रों के लिए)		

परिशिष्ट–चार

समेकित अनुज्ञप्ति अनुबंध

(छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 यथा संशोधित नियम 13 (3) प्ररूप–चार क (समेकित अनुज्ञप्ति))